**46**

**कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति**

**(2022-23)**

**सत्रहवीं लोक सभा**

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि और किसान कल्याण विभाग)**

# 'अनुदानों की मांगें (2022-23)'

**{कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई}**

**छियालिसवां प्रतिवेदन**

सत्यमेव जयते

**लोक सभा सचिवालय**

**नई दिल्ली**

**दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)**

# छियालिसवां प्रतिवेदन

## कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

## (2022-23)

**(सत्रहवीं लोक सभा)**

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**
**(कृषि और किसान कल्याण विभाग)**

**'अनुदानों की मांगें (2022-23)'**

**(कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई)**

| | |
|---|---|
| **लोक सभा मे प्रस्तुत किया गया** | 20.12.2022 |
| **राज्य सभा के पटल पर रखा गया** | 20.12.2022 |

**लोक सभा सचिवालय**
**नई दिल्ली**

**दिसम्बर, 2022 / अग्रहायण, 1944 (शक)**

**सीओए सं. 458**

**मूल्य:** …….. **रुपए**

**© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा**

**लोक सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित एवं मुद्रित।**

## विषय-सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| समिति (2021-22) की संरचना | ................................ | (iii) |
| समिति (2022-23) की संरचना | ................................ | (v) |
| प्राक्कथन | ................................ | (vii) |
| अध्याय एक | प्रतिवेदन................................ | 1 |
| अध्याय दो | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.......... | 18 |
| अध्याय तीन | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.................. | 39 |
| अध्याय चार | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किए हैं................................................... | 43 |
| अध्याय पांच | टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं............................................... | 49 |


### अनुबंध


समिति की 15.11.2022 को हुयी दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश 52


### परिशिष्ट


कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण...... 55

## कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति* (2021-22) की संरचना

### श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति

### सदस्य

### लोक सभा

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
5. श्री ए. गणेशमूर्ति
6. श्री कनकमल कटारा
7. श्री अबू ताहेर खान
8. श्री मोहन मंडावी
9. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
10. श्री देवजी पटेल
11. श्रीमती शारदा अनिल पटेल
12. श्री बी. बी. पाटील
13. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
16. श्री राजीव प्रताप रूडी
17. मोहम्मद सादिक
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री मुलायम सिंह यादव
21. श्री राम कृपाल यादव

### राज्य सभा

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री कैलाश सोनी
24. श्री राम नाथ ठाकुर
25. श्री वाइको
26. श्री हरनाथ सिंह यादव
@27. रिक्त
@28. रिक्त
@29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

---

* बुलेटिन भाग 2 पैरा संख्या 3293 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा कृषि संबंधी स्थायी समिति का नाम बदलकर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति कर दिया गया।

@ श्री प्रताप सिंह बाजवा, सांसद राज्य सभा दिनांक 21.03.2022 से राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे; सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा, सांसद राज्य सभा, 09.04.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे और श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, सांसद राज्य सभा, 04.07.2022 से राज्यसभा से उनकी सेवानिवृत्ति के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे।

## सचिवालय

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1ए | श्री शिव कुमार | . | अपर सचिव |
| 2ए | श्री सुन्दर प्रसाद दस | . | निदेशक |
| 3ए | श्री एन. अमरात्यागन | - | अवर सचिव |

## कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

**श्री पी. सी. गद्दीगौडर- सभापति**

**सदस्य**

**लोक सभा**

2. श्री अफजाल अनसारी
3. श्री होरेन सिंह बे
4. श्री ए. गणेशमूर्ति
5. श्री कनकमल कटारा
6. श्री अबू ताहेर खान
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
8. श्री मोहन मण्डावी
9. श्री देवजी मनसिंहराम पटेल
10. श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
11. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
12. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
13. श्री विनायक भाऊराव राऊत
14. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
15. श्री राजीव प्रताप रूडी
16. मोहम्मद सादिक
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह (ऊर्फ)
18. श्री वीरेन्द्र सिंह
19. श्री वी. के. श्रीकंदन
20. श्री राम कृपाल यादव
*21. रिक्त

**राज्य सभा**

22. श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा
23. श्री मस्थान राव बीडा
24. डाअनिल सुखदेवराव . बोंडे
25. श्री एस. कल्याणसुन्दरम
26. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
27. श्री कैलाश सोनी
28. श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला
29. श्री राम नाथ ठाकुर
30. श्री वाइको
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

---

* दिनांक 14.10.2022 के बुलेटिन- भाग II, पैरा संख्या 5316 द्वारा 10.10.2022 को श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त ।

## सचिवालय

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **श्री शिव कुमार** | **-** | **अपर सचिव** |
| 2. | **श्री नवल के. वर्मा** | **-** | **निदेशक** |
| 3. | **श्री उत्तम चंद भारद्वाज** | **-** | **अपर निदेशक** |
| 4. | **श्री एन. अमरात्यागन** | **-** | **अवर सचिव** |

# प्राक्कथन

मैं, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी छियालिसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) को दिनांक 24.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा के पटल पर रखा गया। प्रतिवेदन से संबंधित की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ दिनांक 27.06.2022 को प्राप्त हुईं।

3. प्रतिवेदन को समिति की 15.11.2022 को हुई बैठक में विचारोपरांत स्वीकार किया गया।

4. समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट में दिया गया है।

नई दिल्ली;
6 दिसम्बर, 2022
15 अग्रहायण,1944(शक)

पी. सी. गद्दीगौडर
सभापति,
कृषि,पशुपालन और खाद्य
प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति

## अध्याय- एक

## प्रतिवेदन

**कृषि संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (**2022-23) **के संबंध में कृषि**, **पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (**2021-2022) **के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है**, **जिसे दिनांक** 24.03.2022 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और राज्य सभा के पटल पर रख गया था।**

1.2 **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी** 20 **टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन उत्तरों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:**

(i) **टिप्पणियां/सिफारिशें**, **जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है** : **अध्याय- दो**
**सिफारिश सं.** 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 **और** 20. **(कुल- 13)**

(ii) **टिप्पणियां/सिफारिशें**, **जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती**: **अध्याय-तीन**
**सिफारिश सं.** 3, 5 **और** 8. **(कुल- 03)**

(iii) **टिप्पणियां/सिफारिशें**, **जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं**: **अध्याय-चार**
**सिफारिश सं.** 7 **और** 14. **(कुल- 02)**

(iv) **टिप्पणियां/सिफारिशें**, **जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं** **अध्याय-पांच**
**सिफारिश सं.** 2 **और** 4. **(कुल- 02)**

**1.3 समिति चाहती है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाए। ऐसे मामलों में, जहां सरकार के लिए सिफारिशों को अक्षरश: कार्यन्वित करना संभव नहीं है, मामले को समक्ष कार्यान्वयन न करने के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाए। समिति यह चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-I और अध्याय-V में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर आगे की-गई-कार्रवाई टिप्पण यथाशीघ्र भेजे जाएं।**

1.4 **अब समिति उत्तरवर्ती पैराओं में अपनी कुछ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी।**

**<u>अनुदानों की मांगों- का विश्लेषण मांग संख्या 1</u>**

**(सिफारिश सं. 1)**

1.5 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-**

**"समिति ने नोट किया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को ब.अ. चरण में वर्ष** 2022-23 **के लिए** 1,24,000 **करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सं.अ.** 2021-22 **की तुलना में** 4.82% **अधिक है। वर्ष** 2019-20, 2020-21 **और** 2021-22 (17.02.2022 **तक) के लिए धन का वास्तविक उपयोग सं.अ. के संदर्भ में क्रमशः** 92.74% 93.03% **और** 80.37% **है। दिनांक** 17.02.2022 **तक** 80.37% **निधियों के उपयोग से पता चलता है कि विभाग को वर्ष** 2021-22 **के शेष बचे लगभग डेढ़ महीनों में निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। समिति का मानना है कि संशोधित अनुमान के बजाय वास्तविक व्यय के साथ तुलना करने के लिए बजट अनुमान एक बेहतर स्रोत है। इसके अलावा, विभाग वर्ष** 2021-22 **के दौरान अब तक अपनी मासिक व्यय योजना पर खरा नहीं उतर पाया है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग मासिक व्यय योजना पर अडिग रहकर आबंटित निधियों के शत-प्रतिशत इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करे। उन्हें लगता है कि वर्ष के अंत में खर्च की किसी भी जल्दबाज़ी को हर कीमत पर टाला जाए।**

1.6 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है: -**

" **वर्ष** 2021-22 **के लिए व्यय** 114785.35 **करोड़ रुपये हैं जो सं.अ.(**2021-22) **का** 97.03% **है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक महीनों के दौरान व्यय की धीमी गति** 1 **जुलाई**, 2021 **से**

**प्रभावी सीएसएस योजनाओं के तहत निधियों को जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया की शुरूआत के कारण थी। इसके अलावा, समिति की सिफारिश के अनुरूप, यह विभाग धनराशि जारी करने के प्रस्तावों में तेजी लाने और अन्य संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मामले पर बातचीत कर रहा है ताकि धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और वर्ष के अंत में खर्च की जल्दीबाजी से बचा जा सके।"**

**1.7 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया है कि समिति की सिफारिश के अनुरूप, धनराशि जारी करने के प्रस्तावों में तेजी लाने और अन्य संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहा है ताकि धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और वर्ष के अंत में खर्च की जल्दीबाजी से बचा जा सके। समिति विभाग के उत्तर की सराहना करते हुए इस बात पर बल देना चाहती है कि विभाग मासिक व्यय योजना तैयार और कार्यान्वित करे एवं आवंटित धन का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करे।**

**(सिफारिश सं. 2)**

1.8 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-**

**'समिति ने नोट किया कि वर्ष** 2021-22 **के दौरान निधियों के उपयोग के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विभाग ने बताया है कि जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनको ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान के तहत आवंटित कोटा को छोड़कर, जहां कम खेती योग्य क्षेत्र होने उन राज्यों द्वारा उतनी ही राशि जारी न करने और सामुदायिक भूमि विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष** 2021-22 **के दौरान पूरे बजट का उपयोग किए जाने की संभावना है, के कारण उपयोग सीमित है। यह, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विभाग ने स्वीकार किया है कि वर्ष** 2021-22 **के समापन से पहले तक उस आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग कर पाना संभव नहीं होगा। समिति का यह सुविचारित मत है कि चूंकि विभाग उन कारणों/कारकों से अवगत है, जो उपलब्ध निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग में बाधा डालते हैं, इसलिए उसे वित्तपोषण पद्धति के साथ-साथ कार्यान्वयन की विधि सहित अपनी स्कीमों में समुचित संशोधन करना**

**चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।"**

1.9 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-**

**"समिति की सिफारिश के अनुसार, विभाग ने वर्ष** 2021-22 **के दौरान आवंटित निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सं.अ. (**2020-21) **के** 97.03% **का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, विभाग परिचालन दिशानिर्देशों में उन कारकों और नियमों की पहचान कर रहा है जो निधियों के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं और योजना के ईएफसी में प्रावधानों को शामिल करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके एक कार्य दल का भी गठन किया गया है।**

**1.10 समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि चूंकि विभाग उन कारणों/कारकों से अवगत था, जो निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग में बाधा डालते हैं, इसलिए उन्हें अपनी योजनाओं को वित्त पोषण पैटर्न के साथ-साथ कार्यान्वयन की पद्धति सहित उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस संदर्भ में, यह उत्तर दिया गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग परिचालन दिशानिर्देशों में उन कारकों और नियमों का लता लगा रहा है जो निधियों के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं को समिति करते हैं और योजना के ईएफसी में प्रावधानों को शामिल करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके एक कार्य दल का भी गठन किया गया है। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाई के बारे में जानना चाहती है।**

**<u>विभाग द्वारा सरेंडर की गई राशि</u>**

**(सिफारिश सं. 4)**

1.11 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की:-**

**समिति ने विभाग के उत्तर से नोट किया है कि** 2019-20, 2020-21 **और** 2021-22 **के दौरान क्रमशः** 34517.70 **करोड़ रुपये**, 23824.54 **करोड़ रुपये और** 9586.86 **करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है। इसका मतलब है कि इन वर्षों में विभाग द्वारा** 67929.10 **करोड़ रुपये बिना खर्च किए ही लौटा दिये गए हैं। समिति की राय है कि निधियों का लौटा दिया जाना जो बिलकुल भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता; जिसे समिति मानती है कि एनईएस (पूर्वोत्तर राज्य), एससीएसपी (अनुसूचित जाति उप-योजना) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी) घटकों के तहत आवश्यकता कम होने के नाम पर वापस किया गया है। समिति ने निधियों के वापस लौटाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। इसलिए, समिति विभाग को निधियों के परिहार्य समर्पण के कारणों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश करती है कि निधियों का पूर्ण, उचित और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।''**

1.12 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-**

"**वित्त वर्ष** 2021-22 **के निधि कों वापस लौटाना मुख्य रूप से सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए** 1 **जुलाई** 2021 **से वित्त मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित शुरुआती मुद्दों के कारण है और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कम आवश्यकता को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (** i) **पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के तहत धन जारी करने के लिए भूमि जोत एक आवश्यक मानदंड है**, (ii)**उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश भूमि सामुदायिक भूमि है, और (**iii) **उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुल कृषि योग्य भूमि (क्षेत्र) सकल कृषि योग्य क्षेत्र (सीजीए) का** 2.74% **है। ।**

**इसके अलावा, यह विभाग प्रस्तावों में तेजी लाने और अन्य संबंधित मुद्दों को त्वरित रूप से और विभिन्न योजनाओं के तहत धन के प्रवाह की गति की निगरानी और परिचालन दिशानिर्देशों में कारकों और नियमों जो निधियों के उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है और योजनाओं के ईएफसी में प्रावधानों को शामिल करता है, की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है।**"

**1.13 समिति ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभाग द्वारा धन कों वापस लौटाने पर नाराजगी व्यक्त की थी, और उन्हें वर्ष 2019-20 में 34,517.70 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 23824.54 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 9586.10 करोड़ रुपये कों वापस लौटाने के कारणों**

**का पता लगाने की सिफारिश की थी और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएं निधि का पूरी तरह से, सूचित और कुशलता से उपयोग हो। सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तर के अवलोकन से समिति यह पाती है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों कों वापस करने के कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं। विभाग के अनुसार, वर्ष 2021-22 में निधियों कों वापस करना मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए दिनांक 01.07.2021 से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन से संबंधित शुरुआती मुद्दों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में कम आवश्यकता के कारण है। विभाग ने यह भी बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गति और धन के प्रवाह की बारीकी से निगरानी कर रहा है और परिचालन दिशानिर्देशों में कारकों और नियमों की पहचान कर रहा है, जो धन के उपयोग में बाधा उत्पन्न करते हैं सीमित करते हैं इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई करे और वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों वापस करने संबंधी कारणों के साथ-साथ निधियों के उपयोग को सीमित करने वाले कारकों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएं कि निधियों का पूरी तरह से, समुचित और कुशलता से उपयोग हो।**

**<u>उपयोगिता प्रमाण पत्रों (यूसी) की स्थिति</u>**

**(सिफारिश सं. 6)**

1.14 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-**

> **"समिति ने नोट किया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) की राशि वर्ष** 2016-17 **और** 2020-21 **के बीच के वर्षों में बढ़ती रही है। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्ष** 2016-17 **में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र मात्र** 188 **करोड़ रुपये थे जो पांच साल की अवधि में सत्रह गुना से अधिक बढ़ गए हैं। इससे यह साबित होता है कि विभाग का निगरानी तंत्र अनिवार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहा है। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष** 2018-19 **तक,** 917.36 **करोड़ रुपये की यूसी लंबित थी जो वर्ष** 2019-20 **के दौरान बढ़कर** 1765.57 **करोड़ रुपये हो गई। इसके अलावा, वर्ष** 2020-21 **के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास** 3237.11 **करोड़ रुपये की यूसी लंबित थी। समिति का मानना है कि लंबित यूसी की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से विभाग द्वारा चलाए जा रहे**

**कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है क्योंकि लंबित यूसी कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे की निधियां प्राप्त करने से वंचित करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणाली अपने कार्य को पूरी लगन से और प्रभावी तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों पर गंभीरता से विचार करे और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के दौर में पूरी गंभीरता के साथ उठाए और निर्धारित समय के भीतर आवंटित निधियों का उपयोग करने और समय पर यूसी प्रस्तुत करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़े ताकि इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को इन योजनाओं/कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ मिल सके।"**

1.15 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-**

**"यूसी के लंबित संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी निधियों की उपलब्धता की बेहतर निगरानी के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2021 से सीएसएस के तहत निधि जारी करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समस्या से निपटने की प्रक्रिया में सटीक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह विभाग राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है और इस संबंध में पूर्व में उठाए गए कदमों के अलावा पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी भी कर रहा है।**

**इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2022 से केंद्र प्रायोजित योजना के समान ही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि जारी करने के लिए दिशा-निर्देश प्रख्यापित किए हैं।**

**1.16 प्राप्त उत्तर के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत धन जारी करने की प्रक्रिया को दिनांक 01.07.2021 से संशोधित किया गया है और लंबित यूसी की समस्या से निपटने के लिए सुस्पष्ट दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है। विभाग ने दिनांक 01.07.2022**

**से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियां जारी करने के लिए इसी तरह के दिशा-निर्देश प्रख्यापित किए हैं। इस पृष्ठभूमि में, समिति इस मामले में विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जारी अर्थात् अब तक हुई प्रगति लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या और निधियों की मात्रा के बारे में जानना चाहती है।**

**<u>किसानों की आय दोगुनी करना</u>**

**(सिफारिश सं. 7)**

1.17 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-**

**यह सच है कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इस देश के प्रत्येक किसान की आय को दोगुना करने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों और मंत्रालयों की है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसानों की आय को दोगुना करने का प्रमुख कार्य कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का है। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग वर्ष** 2015-16 **और** 2018-19 **के बीच कुछ राज्यों के किसानों की आय को दोगुना करने से अभी बहुत दूर है, अर्थात चार वर्षों में, झारखंड में यह** 7068 **रुपये से घटकर** 4895 **रुपये हो गया है, मध्य प्रदेश में यह** 9740 **रुपये से घटकर** 8339 **रुपये हो गया है। नागालैंड में यह** 11428 **रुपये से घटकर** 9877 **रुपये हो गया है, ओडिशा के लिए यह** 5274 **रुपये से घटकर** 5112 **रुपये हो गया है। ऐसा तब हुआ है जब देश की मासिक कृषि आधारित पारिवारिक आय** 8059 **रुपए से बढ़कर** 10218 **रुपए हो गई है, जो कि समिति की राय में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रशंसनीय और समय पर किया गया हस्तक्षेप है। समिति ने यह भी नोट किया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार, इस संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है कि कुछ राज्यों में वर्ष** 2015-16 **और** 2018-19 **के बीच मासिक घरेलू आय में गिरावट क्यों आ रही है, जबकि किसानों की संख्या लगभग समान है या कहीं बढ़ ही रही है और क्या कृषि और किसान कल्याण विभाग मूक दर्शक के रूप में बना हुआ है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग उन राज्यों में किसानों की आय में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष दल तैयार करे और कुछ सुधारात्मक उपाय करे ताकि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को भूल न जांए।"**

1.18 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-**

**"सरकार ने कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो किसानों के लिए उच्च आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आबंटनों और गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों जैसे सूक्ष्म सिंचाई निधि आदि जैसे कायिक निधि बनाने द्वारा समर्थित किया जा रहा है। इस क्षमता को उजागर करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे आत्मनिर्भर पैकेज (कृषि) के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन। आत्म निर्भर भारत के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ कृषि संरचना निधि (एआईएफ) बनाया गया है। । अन्य विशेष पहलों में पीएम-किसान के तहत पूरक आय हस्तांतरण; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, उत्पादन लागत, मधुमक्खी पालन पर लाभ मार्जिन का न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करना; राष्ट्रीय गोकुल मिशन; नीली क्रांति; ब्याज सहायता योजना; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जो अब कृषि फसलों आदि के अलावा डेयरी और मछुआरों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है,इत्यादि शामिल हैं। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के लिए अधिक लचीला बनाने हेतु रणनीति विकसित और कार्यान्वित करना है। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है। इस क्षेत्र के किसानों और अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी को सस्ती बनाने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन(एसएमएएम) के तहत किसान के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए आईसीएआर / एसएयू / राज्य सरकारों / राज्य सरकार के संस्थानों को आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की 100% लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

**कुछ राज्यों में किसानों की आय में गिरावट के कारणों का पता लगाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए एक विशेष दल बनाने हेतु समिति की सिफारिशों को विचार करने हेतु नोट किया गया है।"**

**1.19 समिति ने अपने 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में वर्ष 2015-16 और 2018-19 के बीच किसानों की आय में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष दल तैयार करने और कड़े सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश की थी ताकि किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को भूल न जाएं। अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने उल्लेख किया है कि कई विकास कार्यक्रम, योजनाएं, सुधार और नीतियां किसानों के लिए अधिक आय पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह भी बताया गया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक विशेष दल तैयार करने और कड़े सुधारात्मक उपाय करने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है। समिति यह पाती है कि विभाग द्वारा इस मामले में केवल यह कहने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। इसलिए समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।**

**<u>संशोधित ब्याज सहायता योजना</u>**

**(सिफारिश सं. 14)**

1.20 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-**

> **"समिति ने नोट किया कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए संभवत वर्ष** 2006-07 **के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। समिति यह जानना चाहेगी कि वर्ष** 2021-22 **के अंत तक देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने किसान हैं। समिति यह भी जानना चाहेगी कि उन उपलब्ध किसानों में से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और विभाग को इस देश के सभी किसानों को कवर करने में कितने और वर्ष लग सकते हैं।"**

1.21 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-**

> **"अधिक से अधिक किसानों की केसीसी के तहत लाने के लिए ताकि उन्हें संशोधित ब्याज सहायता योजना के माध्यम से सस्ती दर पर ऋण मिल सके, सरकार पीएम-किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी बचे हुए किसानों को कवर करने के लिए**

फरवरी, 2020 से किसानों को केसीसी के दायरे में लाने के लिए एक अभियान चला रही है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, भारत सरकार ने किसानों को 2.5 करोड़ नए केसीसी प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह संकट के समय में किसानों को रियायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए था। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 29-04-2022 तक, 3,42,009 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 307.46 लाख केसीसी जारी किए गए हैं।

31 मार्च, 2022 तक पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-1 में उपलब्ध है। चालू केसीसी खातों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या अनुबंध-दो में उपलब्ध है।

**1.22 समिति ने अपनी सिफारिश में वर्ष 2021-22 के अंत तक देश में किसानों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या और किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए किसानों की संख्या एवं विभाग को इस देश के सभी किसानों को केसीसी प्रदान करने में और कितने साल लगेंगे आदि के बारे में जानना चाहा। अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में, विभाग ने 31 मार्च, 2022 तक पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों की संख्या और चालू केसीसी खातों की कुल संख्या के बारे में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा प्रदान किया है। यह उल्लेख किया गया है कि सरकार केसीसी के तहत अधिकतम संख्या में किसानों को लाने के लिए पीएम-किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी बचे हुए किसानों को कवर करने के लिए फरवरी, 2020 से किसानों को केसीसी के दायरे मे लाने के लिए एक अभियान चला रही है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत, भारत सरकार संकट के समय किसानों को रियायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 2.5 करोड़ नए केसीसी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके परिणामस्वरूप,दिनांक 29-04-2022 तक, 3,42,009 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 307.46 लाख केसीसी जारी किए गए हैं। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के की-गई-कार्रवाई उत्तर में वर्ष 2021-22 के अंत तक देश में किसानों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और संभावित समय अवधि जिसमें विभाग किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी किसानों को कवर करेगा, के बारे**

**में ब्यौरा नहीं दिया गया है । इसलिए समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिश को दोहराती है और चाहती है कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए।**

**<u>कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ़)</u>**

**(सिफारिश सं. 18)**

1.23 **समिति ने निम्नवत टिप्पणी/सिफारिश की थी:-**

"**समिति ने नोट किया है कि वर्ष** 2021-22 **के दौरान** 200 **करोड़ रुपये के स.अ. के मुकाबले कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष** 2022-23 **के लिए** 500 **करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत**, 10 **वर्षों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए** 1 **लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार**, **एआईएफ पोर्टल को अब तक** 15,500 **आवेदन प्राप्त हुए हैं**, **जो कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत** 13,400 **करोड़ रुपये के सब्सिडी वाले ऋण की मांग करते हैं। इसमें से** 6431 **करोड़ रुपए के ऋण की योजना के अंतर्गत कुल** 8900+ **परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं**, **जिनमें नाबार्ड द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति शामिल है। वर्ष** 2021-22 **के दौरान (**31.01.2022 **तक) ऋणदाता संस्थानों को ब्याज सहायता और ऋण गारंटी के नाम पर कथित तौर पर** 12,54,12,329/- **रुपये जारी किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान गति को ध्यान में रखते हुए**, **समिति सिफारिश करती है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग लक्षित** 10-**वर्ष की अवधि के शेष वर्षों के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष-वार विस्तृत कार्य योजना तैयार करे। योजना के विभिन्न घटकों के लिए निधियों की आवश्यकता की मात्रा और अवसंरचना विकास के लिए ऋण स्वीकृति/जारी करने के लिए अपेक्षित निधियों की मात्रा के संदर्भ में वर्ष-वार लक्ष्य इस योजना के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। इस योजना की राज्य**, **संघ राज्य क्षेत्र**, **जिला और ग्राम स्तरों पर कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। समिति इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।**"

1.24 **विभाग ने अपने की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत बताया है:-**

"लक्षित 10 वर्ष की अवधि के शेष वर्षों के दौरान योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्षवार विस्तृत कार्य योजना।

योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को मोटे तौर पर 3 प्रमुख मानकों यानी पहचान, जागरूकता, संचालन में वर्गीकृत किया गया है।

1. पहचान
    - एपीएमसी, फ्रेमर समूहों, राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियों, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले निजी व्यावसायिक घरानों जैसे संभावित निवेशकों की पहचान।
    - देश की अवसंरचना आवश्यकता की पहचान।
    - अंतराल मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से राज्यवार अवसंरचनात्मक अंतराल और आवश्यकताओं की पहचान करना।
2. जागरूकता निर्माण

    योजना के विभिन्न हितधारकों के साथ उचित मीडिया नियोजन, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, भौतिक संगोष्ठियों, राज्य और जिला स्तर पर संबंधित विभागों और अन्य संस्थानों के साथ जागरूकता और समन्वय का उपयोग करके जमीनी स्तर तक जागरूकता पैदा की जाएगी।

3. संचालन और निगरानी।

    ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजना का कुशल संचालन और प्रबंधन, एनएलएमसी, एसएलएमसी और डीएलएमसी की अनुसूचित बैठकें, राज्य स्तरीय पीएमयू का निर्माण और सक्रियण, मॉडल डीपीआर तैयार करने और निर्बाध ऑनलाइन दावा निपटान प्रक्रिया के माध्यम से आवेदकों को सहायता प्रदान करना।

योजना के विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक निधि की मात्रा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ऋण स्वीकृति/जारी करने के लिए आवश्यक निधि की मात्रा के संदर्भ में वर्ष-वार लक्ष्य योजना के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं।

| | विवरण | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | विवरण | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क | संवितरण | 298 | 3,643 | 18264 | 25265 | 25265 | 27265 | 1,00,000 |
| ख | संचयी वितरण | 298 | 3,941 | 22,205 | 47,470 | 72,735 | 1,00,000 | |
| ग | भुगतान | - | - | 60 | 788 | 4,441 | 9,494 | 14,783 |
| घ | संचयी भुगतान | - | - | 60 | 848 | 5,289 | 14,783 | |
| ङ | बकाया | 298 | 3,941 | 22,145 | 46,622 | 67,446 | 85,217 | |
| च | 2 करोड़ से कम बकाया राशि | 149 | 1,971 | 11,073 | 23,311 | 33,723 | 42,609 | |
| छ | ब्याज सहायता (3% x च) | 4 | 59 | 332 | 699 | 1,012 | 1,278 | 3,385.05 |
| ज | ऋण स्वीकृत (1.33% X ङ) | 2 | 26 | 147 | 310 | 449 | 567 | 1,500.71 |
| झ | 2 करोड़ से अधिक बकाया राशि | 149 | 1,971 | 11,073 | 23,311 | 33,723 | 42,609 | |
| ञ | ब्याज सहायता (3% x 33.33% x झ) | 1 | 20 | 111 | 233 | 337 | 426 | 1,128 |
| ट | कुल योजना लागत (छ + ज +ञ) | 8 | 105 | 590 | 1,242 | 1,797 | 2,271 | 6,014 |
| ठ. | प्रशासन लागत (योजना लागत का 2%,अधिकतम 200 करोड़) | 17 | 7 | 51 | 40 | 20 | 20 | 155 |
| ड | कुल लागत (ट. + ड) | **25** | **112** | **641** | **1,282** | **1,817** | **2,291** | **6,169** |

***गणना के लिए अनुमान:***

1. ***वर्ष के पहले दिन सभी संवितरण***
2. ***वर्ष के पहले दिन सभी भुगतान***
3. *2* ***करोड़ रु. तक की ऋण राशि के लिए ब्याज सहायता;*** *2* ***करोड़ रुपये से ऊपर*** *50%* ***ऋण***
4. ***पूर्ण भुगतान तक प्रत्येक वर्ष के लिए कुल बकाया निवेश पर*** *3%* ***के लिए ब्याज सहायता***
5. *2* ***करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए ऋण राशि के*** *33.33* ***प्रतिशत के लिए ब्याज सहायता।(6 करोड़ रुपये की औसत ऋण)***
6. *2* ***करोड़ रुपये तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी भारित औसत*** *1.33%(* ***महिलाएं*** *30%,* ***पूर्वोत्तर पुरुष*** *10%,* ***आरओआई सूक्ष्म उद्यम पुरुष*** *10% ,* *5* ***लाख रुपये तक***

*20% ऋण, 5-50 **लाख रुपये के बीच** 20% ऋण, 50 **लाख रुपये से** 2 **करोड़ रुपये के बीच** 10% ऋण), **सीजीटीएमएसई के समान लागत।***

7. ***कुल योजना लागत का** 2% @ **प्रशासनिक लागत**, 200 **करोड़ तक सीमित।***

**राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ग्राम स्तर पर योजना की निगरानी प्रक्रिया**

**योजना के कार्यान्वयन के बारे में रियल टाइम मोनिट्रिंग और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों की संरचना और कार्य निम्नवत हैं।**

**i. राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी)**

**<u>संरचना:-</u>**

**एनएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष निम्नलिखित हैं:-**

**क. सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) (सभापति)**

**ख. एमडी एसएफएसी**

**ग. एमडी, एनसीडीसी**

**घ. विशेष सचिव / अपर सचिव और एफए (डीए एंड एफडब्ल्यू)**

**ङ. अपर सचिव डीएफएस**

**च. अपर सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार)**

**छ. नाबार्ड के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि**

**ज. प्रधान सचिव-राज्य सरकार (सरकारें)-चार राज्य रोटेशन से**

**झ. चार राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (रोटेशन द्वारा)**

**ञ. संयुक्त सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) और किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी के सीईओ- सदस्य सचिव**

**<u>कार्य:-</u>**

1. **राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन करती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश एनएलएमसी द्वारा अनुमोदित हैं।**
2. **राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन समिति (एनएलआईसी) भी योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों की जांच और सिफारिश करती है। यह राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति**

**(एनएलएमसी) द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित और समीक्षा भी करता है।**

**ii. राज्य स्तरीय निगरानी समिति**

**<u>संरचना:-</u>**

**एसएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष निम्नलिखित हैं:-**

**क. मुख्य सचिव- सभापति**

**ख. कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि**

**ग. प्रधान सचिव (समन्वयन)**

**घ. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस)**

**ङ. मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड**

**च. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी**

**छ. राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)**

**ज. एसएलबीसी संयोजक**

**झ. राज्य नोडल अधिकारी- सदस्य सचिव**

**<u>कार्य:-</u>**

1. **राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) राज्य स्तर पर एनएलएमसी दिशानिर्देशों को लागू करती है और एनआईएमसी को फीडबैक प्रदान करती है।**
2. **यह राज्य में योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन भी करता है।**
3. **यह ओओएमएफ प्रारूप के अनुसार लक्ष्य भी निर्धारित करता है और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करता है**

**iii. जिला स्तरीय निगरानी समिति**

**<u>संरचना:-</u>**

**डीएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष निम्नलिखित हैं:-**

**क. जिलाधिकारी – सभापति**

**ख. जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीडीओ- उपाध्यक्ष**

**ग. जिला कृषि अधिकारी**

**घ. सहकारी समितियों को मनोनीत जिला पंजीयक अधिकारी**

**ड. राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)**

**च. डीएलबीसी के प्रमुख जिला प्रबंधक**

**छ. जिला प्रबंधक, नाबार्ड- सदस्य सचिव**

**<u>कार्य:-</u>**

1. **जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) डीएलएमसी समग्र ढांचे के भीतर कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली की पहली पंक्ति है।**
2. **डीएलएमसी ओओएमएफ प्रारूप के अनुसार एसएलएमसी के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित करता है और पीएमयू के समर्थन से प्रगति की बारीकी से निगरानी करता है।**
3. **डीएलएमसी पीएमयू के सहयोग से डैशबोर्ड का अनुरक्षण भी करता है।**
4. **यह योजना के सुचारू कार्यान्वयन और जिला स्तर पर किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यान्वयन के मुद्दों को सुलझाने की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यक होगा, समिति को जिला प्रशासन द्वारा समर्थित किया जाएगा।**

**1.25 समिति विभाग के उत्तर को नोट करें प्रसन्न है कि समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और योजना की लक्षित 10 वर्ष की अवधि की शेष बची अवधि में कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए योजना के लिए बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपये है जबकि अपेक्षित राशि 641 करोड़ रुपये होने की परिकल्पना की गई है। अतः समिति यह चाहती है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आवंटन समय पर प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करे ताकि योजना के क्रियान्वयन में बाधा न आए। समिति इस मामले में कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।**

## अध्याय - दो

## टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

**अनुदानों की मांगों का विश्लेषण - मांग संख्या 1**

**(सिफारिश सं. 1)**

**समिति ने नोट किया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को ब.अ. चरण में वर्ष** 2022-23 **के लिए** 1,24,000 **करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सं.अ.** 2021-22 **की तुलना में** 4.82% **अधिक है। वर्ष** 2019-20, 2020-21 **और** 2021-22 (17.02.2022 **तक) के लिए धन का वास्तविक उपयोग सं.अ. के संदर्भ में क्रमशः** 92.74% 93.03% **और** 80.37% **है। दिनांक** 17.02.2022 **तक** 80.37% **निधियों के उपयोग से पता चलता है कि विभाग को वर्ष** 2021-22 **के शेष बचे लगभग डेढ़ महीनों में निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। समिति का मानना है कि संशोधित अनुमान के बजाय वास्तविक व्यय के साथ तुलना करने के लिए बजट अनुमान एक बेहतर स्रोत है। इसके अलावा, विभाग वर्ष** 2021-22 **के दौरान अब तक अपनी मासिक व्यय योजना पर खरा नहीं उतर पाया है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग मासिक व्यय योजना पर अडिग रहकर आबंटित निधियों के शत-प्रतिशत इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करे। उन्हें लगता है कि वर्ष के अंत में खर्च की किसी भी जल्दबाज़ी को हर कीमत पर टाला जाए।**

**सरकार का उत्तर**

**वर्ष** 2021-22 **के लिए व्यय** 114785.35 **करोड़ रु जो कि सं.अ.(**2021-22) **का** 97.03% **है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक महीनों के दौरान व्यय की धीमी गति** 1 **जुलाई**, 2021 **से प्रभावी सीएसएस योजनाओं के तहत निधियों को जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया की शुरूआत के कारण थी। इसके अलावा, समिति की सिफारिशों के अनुरूप, यह विभाग धनराशि जारी करने के प्रस्तावों में तेजी लाने और अन्य संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मामले पर बातचीत कर रहा है ताकि धन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और वर्ष के अंत में खर्च की जल्दीबाजी से बचा जा सके।**

**समिति की टिप्पणी**

**कृपया समिति की टिप्पणी के लिए इस प्रतिवेदन के अध्याय-I के पैरा 1.7 देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) की स्थिति</u>**

**(सिफारिश सं. 6)**

**समिति यह नोट करती है किया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) की राशि वर्ष 2016-17 और 2020-21 के बीच के वर्षों में बढ़ती रही है। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2016-17 में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र मात्र 188 करोड़ रुपये थे जो पांच साल की अवधि में सत्रह गुना से अधिक बढ़ गए हैं। इससे यह साबित होता है कि विभाग का निगरानी तंत्र अनिवार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहा है। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2018-19 तक, 917.36 करोड़ रुपये की यूसी लंबित थी जो वर्ष 2019-20 के दौरान बढ़कर 1765.57 करोड़ रुपये हो गई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास 3237.11 करोड़ रुपये की यूसी लंबित थी। समिति का मानना है कि लंबित यूसी की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डाल रही है क्योंकि लंबित यूसी कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे की निधियां प्राप्त करने से वंचित करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणाली अपने कार्य को पूरी लगन से और प्रभावी तरीके से नहीं कर रही है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों पर गंभीरता से विचार करे और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के दौर में पूरी गंभीरता के साथ उठाए और निर्धारित समय के भीतर आवंटित निधियों का उपयोग करने और समय पर यूसी प्रस्तुत करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़े ताकि इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को इन योजनाओं/कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ मिल सके।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**यूसी की लंबित संबंधी मुद्दे को हल करने के लिए और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों की उपलब्धता की बेहतर निगरानी के लिए और भारत सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2021 से सीएसएस के तहत फंड जारी करने की प्रक्रिया को संशोधित किया है। अन्य बातों के साथ-साथ लंबित यूसी की समस्या से निपटने के लिए प्रक्रिया में सटीक दिशा-निर्देशों का संकेत दिया गया है। यह विभाग राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है और इस संबंध में पूर्व में उठाए गए कदमों के अलावा पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी भी कर रहा है।**

**इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2022 से केंद्र प्रायोजित योजना की तर्ज पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधि जारी करने के लिए दिशा-निर्देश प्रख्यापित किए हैं।**

**<u>समिति की टिप्पणी</u>**

**कृपया समिति की टिप्पणी के लिए इस प्रतिवेदन के अध्याय-I के पैरा 1.16 देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं..7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>देश के जनजातीय क्षेत्रों में जैविक कृषि</u>**

**(सिफारिश सं. 9)**

**समिति यह पाती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का संख्या 42) को ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए पूरे देश में सितंबर, 2005 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। समिति ने यह भी पाया है कि विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की भरमार है। इस संबंध में समिति चाहती है कि मनरेगा अधिनियम, 2005 और इसके कार्यान्वयन को सभी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों और विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसानों की आय दोगुनी हो जाए।**

**सरकार का उत्तर**

**विभाग की कुछ योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं के साथ विलय का प्रावधान है। मनरेगा को सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और विभाग द्वारा लागू की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जोड़ने के लिए समिति की सिफारिशों को विचार के लिए नोट किया जाता है।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई)**

**(सिफारिश सं. 10)**

**वर्ष** 2021-22 **के लिए** 15989 **करोड़ रुपये के सं.अ. की तुलना में वर्ष** 2022-23 **के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन के लिए** 15500 **करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। जहां तक** 2021-22 **में** 16000 **करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में** 2022-23 **में योजना के लिए कम आवंटन का संबंध है, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कहा है कि यह योजना मांग आधारित है और योजना के तहत कवरेज और मांग की स्थिति के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो संशोधित अनुमान** 2022-23 **चरण में अतिरिक्त धन की मांग की जा सकती है। समिति सिफारिश करती है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को मांग की स्थिति और योजना के लिए निधियों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए।**

**सरकार का उत्तर**

**यह विभाग हितधारकों की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, बीमा कंपनियों/राज्यों के साथ बैठकों आदि के माध्यम से निधियों की आवश्यकता सहित पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी/समीक्षा करता है , आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा सकती है।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**सिफारिश सं.11**

**समिति की इच्छा है कि विभाग कतिपय राज्यों द्वारा इस योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारणों की जांच करे और आवश्यक उपाय करे और सर्वोत्तम संभव तरीके से उनका समाधान करने का प्रयास करे और यह भी सुनिश्चित करे कि इस योजना को किसानों के लिए अधिक आकर्षक और लाभकारी बनाया जाए, विशेष रूप से उन राज्यों में, जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं ताकि देश के सभी हिस्सों में किसानों को पीएमएफ़बीवाई योजना का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल सके।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और उनके लिए स्वैच्छिक है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी जोखिम धारणा और वित्तीय विचारों आदि को ध्यान में रखते हुए योजना कों अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, सरकार समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर इन राज्यों के साथ और कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों को लिखकर मामले को उठा रही है। वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन तंत्र और योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जांच करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए विभाग द्वारा एक कार्य समूह भी गठित किया गया है।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**सिफारिश सं. 12**

**समिति ने यह भी नोट किया है कि विभाग का उत्तर कि पीएमएफबीवाई के अंतर्गत लाभार्थी खातों की आधार सीडिंग और भूमि अभिलेखों का एकीकरण महाराष्ट्र, ओडिशा और**

**राजस्थान में किया गया है, ने पीएमएफबीवाई योजना में दोहरेपन और चोरी की समस्या से बचने और उसका समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं। समिति का मानना है कि विभाग को सभी उपाय करने चाहिए ताकि वर्ष** 2022-23 **के दौरान शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफलता की कहानियों को दोहराया जा सके।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**विभाग राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के साथ राज्यों के भूमि अभिलेखों के एकीकरण के मामले को सभी पीएमएफबीवाई लागू करने वाले राज्यों के साथ उठा रहा है। लेकिन स्थानीय भाषा में अभिलेखों की उपलब्धता जैसी कई चुनौतियों के कारण कुछ राज्यों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण नहीं होने से मार्ग में बाधा आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के भू-अभिलेखों को एनसीआईपी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**
**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>संशोधित ब्याज सहायता योजना</u>**
**(सिफारिश संख्या 13)**

**समिति ने नोट किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से किसानों को रियायती फसल ऋण प्रदान करने के लिए** 2006-07 **के दौरान शुरू की गई संशोधित ब्याज सहायता योजना के कार्यान्वयन के लिए बीई** 2022-23 **में** 19500.00 **करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। समिति को सूचित किया गया कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के लिए आरई** 2021-22, 18142.30 **करोड़ रुपये है। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण, जिसमें किसानों के लिए सावधि ऋण और अल्पकालिक ऋण शामिल हैं, को नाबार्ड के परामर्श से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्राप्त उत्तर के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग** 2022-23 **के लिए किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण सहित जमीनी स्तर के ऋण का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। समिति ने इस उत्तर नोट को किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी की स्कीम**

**के अंतर्गत निधियों का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों से अलग-अलग लेखा परीक्षित दावों की अनुपलब्धता के कारण बहुत कम है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निधियों का उपयोग बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल कृषि योग्य क्षेत्र देश के कुल सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) का लगभग 2.74% है और भूमि का सामुदायिक स्वामित्व उस क्षेत्र में प्रचलित है। उत्तर के अनुसार, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने फरवरी 2020 के बाद से केसीसी के तहत अधिकतम किसानों को लाने के लिए वित्तीय सेवा विभाग और अन्य हितधारकों के सहयोग से पूरे देश में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कवरेज अभियान शुरू किया है और 2022-23 में किसानों की ऋण आवश्यकताओं में वृद्धि होगी। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने यह भी कहा है कि उसके पास संशोधित ब्याज सहायता योजना के संबंध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा नहीं है। चूंकि यह योजना देश के सभी पात्र किसानों के लिए एक मांग आधारित योजना है, इसलिए समिति उन बहुत कम राज्यों में जहां से मांग आई है, योजना के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने में विभाग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को समझने में विफल रही है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने यह कारण बताया है कि इस योजना के लिए कोई राज्य-वार बजटीय आबंटन नहीं किया जाता है अर्थात् एकल रूप से आश्चर्यजनक रूप से और सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों से प्राप्त स्कीम के घटकों के प्रति लेखा परीक्षित दावों के निपटान के लिए उस योजना के अंतर्गत निधियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को जारी की जाती है। इस पृष्ठभूमि में, समिति सिफारिश करती है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग कृषि क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कृषि क्षेत्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार देश में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों केसीसी के लाभार्थियों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वार्षिक और मौसमी ऋण आवश्यकताओं के बारे में एक अद्यतन और समवर्ती सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**देश में कृषि क्षेत्र में किसानों विशेष रूप से छोटे और सीमान्त किसान जो केसीसी के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी हैं, की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वार्षिक और मौसमी**

**ऋण की जरूरतों के बारे में अद्यतन और समवर्ती जानकारी रखने के लिए एक उपयुक्त कार्य-तंत्र को सक्षम बनाने के संबंध में समिति की सिफारिश को नोट किया गया है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत अधिक संवितरण के लिए ब्याज छूट योजना के तहत दावों का निपटान करने के लिए इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को निधियां जारी की जाती हैं ताकि वे बैंकों/आरआरबी/सहकारी समितियों को निधियां जारी कर सकें। आईएसएस के तहत कोई राज्य-वार आवंटन/निर्मुक्ति नहीं की गई है। हालांकि, ब्याज छूट योजना (आईएसएस) के तहत दावों की तेजी से प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ डेटा बनाना और योजना की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**सिफारिश संख्या 15**

**समिति का मानना है कि इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन अब तक नहीं हुआ है। इसलिए, समिति बीई के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करके 2022-23 में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करती है और यदि आवश्यक हो, तो आरई चरण में योजना के लिए अतिरिक्त धन की मांग की जाए ताकि सभी किसानों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर कवर किया जा सके। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना समिति को दी जाए।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**समिति ने ब.अ. का ईष्टतम उपयोग सुनिश्चित करके वर्ष** 2022-23 **में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की है और यदि आवश्यक हो, तो सं.अ. स्तर पर योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाए। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष** 2021-22 **के दौरान एमआईएसएस के तहत** 19,468.31 **करोड़ रुपये का**

**बजटीय आवंटन किया गया था। विभाग ने योजना के तहत अधिक धनराशि खर्च करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए सं.अ. चरण में अतिरिक्त धनराशि की मांग की। ऐसा करते हुए विभाग एमआईएसएस (संशोधित ब्याज सबवेंशन स्कीम) की कार्यान्वयन एजेंसियों को 21,476.93 करोड़ रुपये की राशि जारी करने में सक्षम था, जो कि ब.अ. से लगभग 10% की वृद्धि थी।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)</u>**

**(सिफारिश संख्या 16)**

**समिति को सूचित किया गया है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग ने पूर्ववर्ती योजना आयोग के परामर्श से वर्ष 2007-08 के दौरान अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राज्य योजना स्कीम (एसीए) के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) शुरू की थी ताकि राज्यों को उक्त क्षेत्रों में वांछित विकास दर प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आरकेवीवाई योजना को 2014-15 से सीएसएस (राज्य योजना) में परिवर्तित कर दिया गया था। समिति ने आगे नोट किया कि आरकेवीवाई को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के रूप में संशोधित किया गया है - कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए पारिश्रमिक दृष्टिकोण (आरकेवीवाई - रफ्तार) 2017-18 और 2019-20 के बीच तीन वर्षों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देने सहित (अर्थात, चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त होने वाला)। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि 2022-23 के लिए आरकेवीवाई के लिए कोई अलग बजटीय आवंटन प्रदान नहीं किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान आरकेवीवाई कैफेटेरिया योजना के लिए 10433 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, कृषि मशीनीकरण और कृषि यंत्रीकरण और फसल अवशेषों के प्रबंधन को बढ़ावा देना (सीआरएम), ग्राम हाट और ग्रामीण कृषि विपणन योजना (जीआरएएमएस), फसल विविधीकरण कार्यक्रम और प्रति बूंद अधिक फसल शामिल है, जिसे ईएफसी की सिफारिश के अनुसार आरकेवीवाई के साथ विलय करने का प्रस्ताव है। समिति जैविक खेती मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, कृषि यंत्रीकरण, प्रति**

**बूंद अधिक फसल आदि जैसी विभिन्न स्कीमों को एकल स्कीम अर्थात आरकेवीवाई में विलय करने और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इन घटकों के अंतर्गत निधियों का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की सराहना करती है। तथापि, समिति विभाग को आरकेवीवाई के कार्यान्वयन की कड़ाई से निगरानी करने की सिफारिश करती है ताकि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में और आरकेवीवाई के अंतर्गत निधियों के उपयोग में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय स्वतंत्रता के नाम पर इन घटकों के इच्छित लाभों को कमजोर न किया जा सके।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**आरकेवीवाई योजना राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस घटक को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान करती है जिसे वे लागू करना चाहते हैं। आरकेवीवाई (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीआरपी) आधारित योजना) के कार्यान्वयन की निगरानी आरकेवीवाई के आरडीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है जो वेब आधारित निगरानी तंत्र है। इसके अलावा, इन राज्यों को निगरानी के लिए एनआरएससी के भुवन पोर्टल में उनके द्वारा कार्यान्वित अवसंरचना परियोजनाओं को जियो-टैग करना भी आवश्यक है।**

**(नोट: वार्षिक कार्य योजना आधारित घटक अर्थात आरकेवीवाई कैफेटेरिया योजना के विलय किए गए घटक को उस संबंधित प्रभाग द्वारा कार्यान्वित और मॉनिटर किया जाता है जो वर्ष** 2021-22 **तक इन घटकों को लागू कर रहा था।**)

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)</u>**

**(सिफारिश संख्या 17)**

**समिति ने नोट किया है कि विभाग द्वारा देश भर में दालों, तिलहनों और खोपरा के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी**

**भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) नामक तीन घटकों के साथ प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का कार्यान्वयन किया जा रहा है। समिति ने विभाग के उत्तर को नोट किया कि 2021-22 के दौरान, विभाग ने उस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था, जिसकी तुलना में 400 करोड़ रुपये की बीई को मंजूरी दी गई थी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान को काफी कम करके 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसकी तुलना में 28.01.2022 को वास्तविक व्यय कथित तौर पर शून्य था। समिति को यह जानकर आश्चर्य होता है कि 2021-22 के दौरान 500 करोड़ रुपये की मांग के लिए कोई लेने वाला नहीं है जो इस महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा खराब योजना साबित करता है। समिति ने विभाग के उस उत्तर को भी नोट किया है जिसमें पूर्णत संतोषजनक कार्यान्वयन के कारणों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना बताया गया है। समिति यह स्वीकार नहीं कर सकती है कि यह स्कीम मांग आधारित है। इसके अलावा 2021-22 के दौरान इस स्कीम का पूरी तरह से गैर-संतोषजनक कार्यान्वयन हुआ। इसलिए समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के असंतोषजनक कार्यान्वयन के कारणों का पता लगाए। समिति यह भी चाहती है कि इस स्कीम को 2022-23 के दौरान संशोधित किया जाना चाहिए, इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**किसानों को अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, अक्टूबर, 2018 में कैबिनेट की मंजूरी से, पूर्व मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) में संशोधन करके तथा भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) की नई योजनाओं और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) के पायलट की शुरुआत करके "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान" (पीएम-आशा) की एक छत्रक योजना की शुरूआत की गई थी। पीएम-आशा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को पूरे राज्य के लिए विशेष तिलहन फसल के संबंध में दिए गए खरीद मौसम में पीएसएस या पीडीपीएस चुनने की पेशकश की जाती है। दलहल और खोपरा की खरीद पीएसएस के तहत की जाती है। एक राज्य में एक जिंस के संबंध में केवल एक योजना अर्थात पीएसएस या पीडीपीएस को प्रचालित किया जाता है। इसके अलावा, राज्यों के पास तिलहन के**

लिए निजी स्टॉकिस्ट की भागीदारी को शामिल करते हुए जिले के चयनित एपीएमसी (ओं) में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) शुरू करने का विकल्प है।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) में दलहन, तिलहन और खोपरा की वास्तविक खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ नैफेड, भारतीय खाद्य सहयोग(एफसीआई) आदि के माध्यम से की जाती है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार खरीद व्यय और खरीद के कारण हुए नुकसान का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने पीएसएस प्रचालन करने के लिए नेफेड और एफसीआई द्वारा नकद ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु ऋणदाता बैंकों को 40,500/- करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान की है।

भावांतर भुगतान योजना के तहत, यह योजना (पीडीपीएस) पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित मंडी यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री/मोडल मूल्य के बीच अंतर के सीधे भुगतान की परिकल्पना करती है। सभी भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किए जाएंगे। इस योजना में फसलों की कोई वास्तविक खरीद शामिल नहीं है क्योंकि किसानों को अधिसूचित मंडी में निपटान पर एमएसपी मूल्य और बिक्री/मोडल मूल्य के बीच अंतर का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार निर्धारित मानदंडों के अनुसार पीडीपीएस की सहायता करेगी।

राज्य निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर चयनित जिलों और जिले की कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) में करेंगे। जिला तिलहन की एक या अधिक फसल को कवर करेगा जिसके लिए एमएसपी अधिसूचित किया गया है। पीपीएसएस के हिस्से के रूप में, चयनित निजी एजेंसी पंजीकृत किसानों से निर्धारित अवधि के दौरान निर्धारित मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर जिंस की खरीद करेगी।

तथापि, पीएसएस/एमआईएस, पीडीपीएस और पायलट पीपीएसएस जैसी पीएम-आशा के तहत योजनाओं के वार्षिक बजट प्रावधान का आवंटन अलग-अलग और भिन्न-भिन्न बजट शीर्षों में किया जाता है। पीएसएस/एमआईएस के तहत, हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य की खरीद एजेंसियों को जारी की जाती है। इसी प्रकार, पीडीपीएस एवं

**पीपीएसएस के तहत नुकसान की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को जारी की जाती है। इसलिए, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्यों को धन जारी करने के लिए अलग बजट शीर्ष की आवश्यकता है।**

**(रूपए करोड़ में)**

| योजना का नाम | ब.अ.-2021-22 | सं.अ.-2021-22 | निर्मुक्ति 2021-22 | ब.अ.-2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| पीएसएस/एमआईएस | 1500.50 | 4000.00 | 2288.31 | 1500.00 |
| पीडीपीएस | 250.00 | 50.00 | - | 50.00 |
| पीपीएसएस | 150.00 | 50.00 | - | 50.00 |

**चूंकि पीएम-आशा के तहत तिलहन के संबंध में पीएसएस या पीडीपीएस के कार्यान्वयन का विकल्प है, इसलिए अधिकांश राज्यों ने तिलहन के लिए पीएसएस के कार्यान्वयन का विकल्प चुना है। इसलिए, पीडीपीएस के कार्यान्वयन के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित कर पीडीपीएस और पीपीएसएस की योजनाओं में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ़)</u>**

**(सिफारिश संख्या 18)**

**समिति ने नोट किया है कि 2021-22 के दौरान 200 करोड़ रुपये के आरई के मुकाबले कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 के लिए 500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, 10 वर्षों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अनुसार, एआईएफ पोर्टल को अब तक 15,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत 13,400 करोड़ रुपये के सब्सिडी वाले ऋण की मांग करते हैं। इसमें से 6431 करोड़ रुपए के ऋण की योजना के अंतर्गत कुल 8900+ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें नाबार्ड द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति शामिल है। वर्ष 2021-**

22 के दौरान (31.01.2022 तक) ऋणदाता संस्थानों को ब्याज सहायता और ऋण गारंटी के नाम पर कथित तौर पर 12,54,12,329/- रुपये जारी किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान गति को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग लक्षित 10-वर्ष की अवधि के शेष वर्षों के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष-वार विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा। योजना के विभिन्न घटकों के लिए निधियों की आवश्यकता की मात्रा और अवसंरचना विकास के लिए ऋण स्वीकृति/जारी करने के लिए अपेक्षित निधियों की मात्रा के संदर्भ में वर्ष-वार लक्ष्य इस योजना के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। इस योजना की राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ग्राम स्तरों पर कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। समिति इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

<u>सरकार का उत्तर</u>

लक्षित 10 वर्ष की अवधि के शेष वर्षों के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्षवार विस्तृत कार्य योजना।

योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को मोटे तौर पर 3 प्रमुख वर्गों अर्थात पहचान, जागरूकता, संचालन में वर्गीकृत किया गया है।

1. पहचान
    - एपीएमसी, किसान समूह, राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियों, कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे निजी व्यावसायिक घरानों जैसे संभावित निवेशकों की पहचान।
    - देश की अवसंरचना आवश्यकता की पहचान।
    - अंतर मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से राज्यवार बुनियादी ढांचे की कमियों और आवश्यकताओं की पहचान करना।

2. जागरूकता सृजन

    उचित मीडिया योजना, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, योजना के विभिन्न हितधारकों के साथ भौतिक संगोष्ठियों का उपयोग करके जमीनी स्तर तक जागरूकता पैदा करना, राज्य और जिला स्तर पर विस्तार विभागों तथा अन्य संस्थानों के साथ सुग्राहीकरण और समन्वय।

3. प्रचालन एवं निगरानी

**ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से योजना का कुशल संचालन और प्रबंधन, एनएलएमसी, एसएलएमसी और डीएलएमसी की निर्धारित बैठकें, राज्य स्तरीय पीएमयू का निर्माण और सक्रियता, मॉडल डीपीआर और निर्बाध ऑनलाइन दावा निपटान प्रक्रिया की तैयारी के माध्यम से आवेदकों को सहायता प्रदान करना।**

**स्कीम के विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक निधियों की मात्रा और अवसंरचना विकास के लिए ऋण स्वीकृति/जारी करने के लिए आवश्यक निधियों की मात्रा के संदर्भ में वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि स्कीम के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग किया जा सके।**

| | तत्व | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क. | संवितरण | 298 | 3,643 | 18264 | 25265 | 25265 | 27265 | 1,00,000 |
| ख. | संचयी संवितरण | 298 | 3,941 | 22,205 | 47,470 | 72,735 | 1,00,000 | |
| ग. | चुकौती | - | - | 60 | 788 | 4,441 | 9,494 | 14,783 |
| घ. | संचयी चुकौती | - | - | 60 | 848 | 5,289 | 14,783 | |
| ड. | बकाया | 298 | 3,941 | 22,145 | 46,622 | 67,446 | 85,217 | |
| च. | 2 करोड़ से कम बकाया राशि | 149 | 1,971 | 11,073 | 23,311 | 33,723 | 42,609 | |
| छ. | ब्याज सबवेंशन (3% x च) | 4 | 59 | 332 | 699 | 1,012 | 1,278 | 3,385.05 |
| ज. | क्रेडिट गारंटी (1.33% X ड.) | 2 | 26 | 147 | 310 | 449 | 567 | 1,500.71 |
| झ. | 2 करोड़ से अधिक बकाया राशि | 149 | 1,971 | 11,073 | 23,311 | 33,723 | 42,609 | |
| ञ. | ब्याज सबवेंशन (3% x 33.33% x झ) | 1 | 20 | 111 | 233 | 337 | 426 | 1,128 |
| ट. | योजना की कुल लागत (छ+ ज+ ञ) | 8 | 105 | 590 | 1,242 | 1,797 | 2,271 | 6,014 |
| ठ. | संचालन लागत (योजना लागत का 2%, अधिकतम 200 करोड़) | 17 | 7 | 51 | 40 | 20 | 20 | 155 |
| ड. | कुल लागत (ट+ ठ) | **25** | **112** | **641** | **1,282** | **1,817** | **2,291** | **6,169** |

**गणना के लिए अनुमान**:

1. **वर्ष के पहले दिन सभी संवितरण**
2. **वर्ष के पहले दिन सभी भुगतान**

3. 2 करोड़ रुपये तक की किसी भी ऋण राशि के लिए ब्याज सबवेंशन; 2 करोड़ रुपये से ऊपर के लिए 50% ऋण।
4. पूर्ण चुकौती तक प्रत्येक वर्ष के लिए कुल बकाया निवेश पर 3% के लिए ब्याज सबवेंशन।
5. 2 करोड़ रुपये (औसत ऋण राशि 6 करोड़ रुपये) से अधिक के ऋण पर ऋण राशि के 33.33 प्रतिशत के लिए ब्याज सबवेंशन।
6. 2 करोड़ रुपये (30% महिलाएं, 10% पुरुष पूर्वोत्तर, 10% पुरुष आरओआई सूक्ष्म उद्यम, 5 लाख रुपये तक 20% ऋण, 5-50 लाख रुपये के बीच 20% ऋण, 50 लाख रुपये से 2 करोड़ के बीच 10% ऋण) तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी भारित औसत 1.33% , लागत सीजीटीएमएसई के समतुल्य।
7. कुल योजना लागत का 2% की दर से संचालन लागत, 200 करोड़ रुपये तक सीमित।

राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ग्राम स्तर पर योजना की निगरानी प्रक्रिया।

योजना के कार्यान्वयन के बारे में समयबद्ध निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों की संरचना और कार्य नीचे दिए गए हैं।

i. राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी)

<u>संरचना:-</u>

एनएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष निम्नलिखित हैं: -

क) सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) (अध्यक्ष)

ख) एमडी एसएफएसी

ग) एमडी, एनसीडीसी

घ) विशेष सचिव / अपर सचिव और एफए (डीए एंड एफडब्ल्यू)

ड.) अपर सचिव डीएफएस

च) अपर सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार)

छ) अध्यक्ष, नाबार्ड या उनके प्रतिनिधि

ज) प्रमुख सचिव-राज्य सरकार (सरकारें)-चार राज्य चक्रानुक्रम से

झ) चार राज्यों के राज्य नोडल अधिकारी (रोटेशन द्वारा)

**ञ) संयुक्त सचिव (डीए एंड एफडब्ल्यू) और किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसायटी के सीईओ- सदस्य सचिव**

**<u>कार्य:-</u>**

1. **राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन करती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश एनएलएमसी द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।**
2. **राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन समिति (एनएलआईसी) भी योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों की जांच और सिफारिश करती है। यह राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एनएलएमसी) द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित और समीक्षा भी करता है।**

**(ii) राज्य स्तरीय निगरानी समिति**

**<u>संरचना:-</u>**

**एसएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष निम्नलिखित हैं: -**

**क) मुख्य सचिव-अध्यक्ष**

**ख) कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव कृषि**

**ग) प्रमुख सचिव (सहकारिता)**

**घ) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस)**

**ड.) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड**

**च) क्षेत्रीय निदेशक, एनसीडीसी**

**छ) राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)।**

**ज) एसएलबीसी संयोजक।**

**झ) राज्य नोडल अधिकारी- सदस्य सचिव।**

**<u>कार्य:-</u>**

1. **राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) राज्य स्तर पर एनआईएमसी दिशानिर्देशों को लागू करती है और एनआईएमसी को फीडबैक प्रदान करती है।**
2. **यह राज्य में योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और संचालन भी करती है।**

3. **यह ओओएमएफ प्रारूप के अनुसार लक्ष्य भी निर्धारित करती है और नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करती है।**

**(iii) जिला स्तरीय निगरानी समिति**

**<u>संरचना:-</u>**

**डीएलएमसी के सदस्य और अध्यक्ष निम्नलिखित हैं: -**

**क) जिला कलेक्टर - अध्यक्ष**

**ख) जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीडीओ- उपाध्यक्ष**

**ग) जिला कृषि अधिकारी**

**घ) अभिनामित सहकारी समितियों के जिला पंजीयक अधिकारी**

**ड.) राज्य द्वारा नामित अधिकारी (तीन से अधिक नहीं)**

**च) डीएलबीसी के प्रमुख जिला प्रबंधक**

**छ) जिला प्रबंधक नाबार्ड- सदस्य सचिव**

**<u>कार्य:-</u>**

1. **जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी): डीएलएमसी समग्र ढांचे के भीतर कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली की पहली पंक्ति है।**
2. **डीएलएमसी ओओएमएफ प्रारूप के अनुसार एसएलएमसी के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित करती है और पीएमयू के सहयोग से प्रगति की सघन निगरानी करती है।**
3. **डीएलएमसी पीएमयू के सहयोग से डैशबोर्ड का रखरखाव भी करती है।**
4. **यह योजना के सुचारू कार्यान्वयन और जिला स्तर पर किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यान्वयन के मुद्दों को सुलझाने की प्रक्रिया में जहां भी आवश्यक होगा, समिति को जिला प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाएगा।**

**<u>समिति की टिप्पणी</u>**

**समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा** 1.25 **देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**एकीकृत बागवानी विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)**

**(सिफारिश संख्या 19)**

**समिति को दिए गए उत्तर से यह पाया गया है कि एमआईडीएच का उद्देश्य फलों, सब्जियों, जड़ों और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियलों, काजू और कोको को कवर करते हुए बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एमआईडीएच के तहत कवर किया गया है।** 2020-21 **के दौरान** 845 **करोड़ रुपये और** 2021-22 **के दौरान** 630 **करोड़ रुपये के गैर-संतोषजनक व्यय की तुलना में एमआईडीएच के लिए बीई** 2022-23, 1900 **करोड़ रुपये है। समिति का मानना है कि एमआईडीएच के तहत व्यय संतोषजनक नहीं है और विभाग को निधियों के शत प्रतिशत उपयोग के लिए** 2022-23 **के दौरान तैयार मासिक व्यय योजना के अनुसार** 1900 **करोड़ रुपये का उपयोग करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों और उसके परिणामों की सूचना समिति को दी जाए।**

**सरकार का उत्तर**

**पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान एमआईडीएच के तहत निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति निम्नानुसार है**:

**(रूपए करोड़ में)**

| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **ब.अ.** | **सं.अ.** | **वास्तविक उपयोग** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-21 | 2160.25 | 1511.92 | 1372.43 |
| 2. | 2021-22 | 2249.72 | 1509.76 | 954.00 |
| 3. | 2022-23 | 1900.00 | - | - |

**(क) वर्ष** 2020-21 **के दौरान कम व्यय के कारण**

1. **एमआईडीएच के तहत आवंटन बजट अनुमान स्तर के** 2160.25 **करोड़ रुपये से घटाकर संशोधित अनुमान स्तर पर** 1511.92 **करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष** 2020-21 **के दौरान योजना के तहत कुल व्यय** 1372.43 **करोड़ रुपये है।**
2. **बचत कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव और राज्यों में लॉकडाउन लागू होने के कारण राज्य सरकारों की कम मांग के कारण थी।**
3. **कोविड प्रभावों के कारण, राज्य के वित्त विभाग वित्तीय संकट में थे और केंद्रीय शेयर और संबंधित राज्य के शेयर को कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर जारी करने का जबरदस्त दबाव था क्योंकि वित्त वर्ष** 2020-21 **राजस्व की दृष्टि से एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था।**

**(ख) वर्ष** 2021-22 **के दौरान कम व्यय के कारण**,

1. **एमआईडीएच के तहत आवंटन बजट अनुमान स्तर पर** 2249.72 **करोड़ रुपये से कम करके संशोधित अनुमान स्तर पर** 1509.76 **करोड़ रूपए कर दिया गया था। वर्ष** 2021-22 **के दौरान योजना के तहत कुल व्यय** 954.00 **करोड़ रूपए है।**
2. **वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष** 2021-22 **के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के लिए नई निर्मुक्ति प्रक्रिया शुरू की। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे केंद्र प्रायोजित घटक के तहत वर्ष** 2021-22 **के दौरान निधियों के निर्मुक्ति/उपयोग की गति वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निधियों को जारी करने के लिए अपनाई गई नई प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के सुस्त कार्यान्वयन के कारण बहुत धीमी थी।**
3. **राज्यों ने नई प्रक्रिया के तहत निर्धारित शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी समय लिया है जिससे** 2021-22 **के दौरान निधियों का उपयोग बाधित हो गया है।**
4. **वर्ष** 2022-23 **के दौरान आवंटित निधियों के उपयोग की गति को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**
**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना</u>**

**(सिफारिश संख्या 20)**

**समिति विभाग के इस उत्तर से अप्रसन्न है कि अब तक** 18 **विभिन्न चरणों में केवल** 1000 **मंडियों और** 3 **संघ राज्य क्षेत्रों को ई-नाम मंच के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा**, 1.72 **करोड़ किसानों और केवल** 2.18 **लाख व्यापारियों को ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। समिति को संदेह हैं कि देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ई-नाम मंच के साथ कब तक एकीकृत किया जाएगा। इसलिए, समिति सिफ़ारिश करती हैं कि ई-नाम मंच को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**दिनांक** 31.05.2022 **तक की स्थिति के अनुसार**:- 18 **राज्यों और** 3 **संघ राज्य क्षेत्रों की** 1000 **मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। अब तक** 1.73 **करोड़ किसानों और** 2.24 **लाख व्यापारियों ने ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। इसके अलावा**, 2140 **एफपीओ भी ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल** 2.01 **लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है।**

**दिनांक** 05.05.2022 **को आयोजित ई-नाम योजना की** 18**वीं परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठक में, अन्य** 260 **मंडियों को ई-नाम पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए अनुमोदित किया गया है, उसी के एकीकरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। चार नए राज्य अर्थात नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा और बिहार को अपनी मंडियों को ई-नाम पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए शामिल किया गया है।** 8 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में** 21 **मंडियों के साथ शुरू होने वाले एक सुनियोजित विस्तार दृष्टिकोण के तहत हमने** 21 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में** 1000 **मंडियों के निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो अगले कुछ महीनों में** 25 **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक बढ़कर** 1260 **मंडियों तक पहुंच जाएगा।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

## अध्याय तीन

## टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए और कार्रवाई नहीं करना चाहती

**अनुदान मांगों का विश्लेषण - मांग संख्या 1**

**(सिफारिश संख्या 3)**

**समिति ने नोट किया कि जैसा कि विभाग ने अपने उत्तरों में स्वीकार किया है, वर्ष** 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 **के दौरान भारत सरकार के कुल बजट में से विभाग के पक्ष में किए गए बजटीय आवंटन का अनुपात क्रमशः** 4.68%, 4.41%, 3.53% **और** 3.14% **था। कथित तौर पर निरपेक्ष रूप से इसमें भी वृद्धि हुई है लेकिन इसका प्रतिशत लगातार घट रहा है। समिति को सूचित किया गया है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि जनगणना** 2011 **के अनुसार कुल कार्यबल का** 54.6% **कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ है। कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई प्रशंसनीय उपाय किए हैं। किसानों की आय में सुधार के लिए भी कदम उठाए गए हैं। देश की समग्र अर्थव्यवस्था में कृषि द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए समिति विभाग को सिफारिश करती है कि वह केन्द्रीय पूल से विभाग के पक्ष में प्रतिशत बजटीय आबंटन में गिरावट के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाए और यह सुनिश्चित करे कि इस गिरावट की प्रवृत्ति को उलट कर इसके बजाए बढ़ाया जाए या कम से कम अगले बजट से इस प्रवृत्ति को बंद कर दिया जाए।**

**सरकार का उत्तर**

**भारत सरकार ने किसानों की उपज और आय बढ़ाने के लिए कई प्रगतिशील नीतिगत निर्णय लिए हैं। विभाग का बजट परिव्यय** 2014-15 **में** 22,652 **करोड़ रुपये से बढ़कर** 2022-23 **में** 1,24,000 **करोड़ रुपया हुआ है जो कि** 24% **की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ कुल मिलाकर** 447.40% **की वृद्धि है। बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से, सरकार का इरादा किसानों की उच्च उत्पादकता और आय के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके अलावा, भारत सरकार के अन्य विभागों ने भी किसानों को योजना के लाभों के लिए बजट आवंटित किया है।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>विभाग की अनुपूरक अनुदानों की मांगें</u>**

**(सिफारिश संख्या 5)**

**समिति को सूचित किया गया है कि विभाग ने एक तरफ वर्ष** 2021-22 **के दौरान** 12552.34 **करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों के लिए प्रावधान किए हैं और दूसरी ओर**, 9586.86 **करोड़ रुपये की राशि लौटा दी गई थी। समिति इस बात को नोट करने पर बाध्य है कि अनुपूरक मांगों को उठाना और निधियों का समर्पण कर देना यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा** 2021-22 **से पहले कितनी कमजोर योजना बनाई गई थी। इसलिए**, **समिति चाहती है कि विभाग आबंटित निधियों के उपयोग की योजना को गंभीरता से ले और निर्णयानुसार योजनाबद्ध तरीके से निधियों का व्यय सुनिश्चित करे। समिति का यह सुविचारित मत है कि विभाग द्वारा वर्ष-दर-वर्ष अनुदान मांगों के दस्तावेजों में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई मासिक व्यय योजना/त्रैमासिक व्यय योजना (एमईपी/क्यूईपी) के कार्यान्वयन को जारी रखने से निधियों के लौटाए जाने की समस्या को हल करने के साथ-साथ अनुपूरक मांगों को उठाने में भी काफी मदद मिलेगी।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**वर्ष** 2021-22 **के दौरान**, **विभिन्न योजनाओं के तहत** 12552.34 **करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि बढ़ाने के लिए**, **संसद की मंजूरी के साथ**, 0.05 **करोड़ रुपये के अनुदान के लिए टोकन अनुपूरक मांग प्राप्त की गई थी।** 12552.29 **करोड़ रूपए की शेष राशि अनुदान के साथ उपलब्ध बचत के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके अलावा**, 2021-22 **के दौरान वास्तविक समर्पण** 5152.60 **करोड़ रुपये का था। इसमें से अनिवार्य समर्पण** {**अर्थात बजट अनुमान घटा संशोधित अनुमान**} 4723.33 **करोड़ रुपये था। व्यय की असमान गति** 1/7/2021 **से सीएसएस योजनाओं के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया की शुरूआत के कारण थी। इसके अलावा**, **पीएम-किसान योजना के तहत**, **किसानों को हर वर्ष तीन किस्तें जारी की जाती हैं**,

**किश्तें आम तौर पर अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में आती हैं, जो किएमईपी / क्यूईपी को भी प्रभावित करती हैं।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**
**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>देश के जनजातीय क्षेत्रों में जैविक कृषि</u>**
**(सिफारिश संख्या 8)**

**देश भर में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की संभवत पांच अलग-अलग स्कीमें हैं अर्थात्, 1. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), 2. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक महत्व (मूल्य?) श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), 3.मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत पूंजी निवेश राजसहायता योजना (सीआईएसएस), 4.राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - आयल पाम (एनएमओओपी) और 5.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली (एनएफ़एसएस)। समिति ने पाया है कि विश्व के कई देश इस संबंध में जैविक कृषि करने में बहुत आगे हैं। उनका मानना है कि जैविक कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए समान उद्देश्यों वाली इन सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाने की आवश्यकता है ताकि देश के सभी जनजातीय क्षेत्रों में लक्ष्य, उपलब्धि और पूर्ण जैविक कृषि निकट भविष्य में प्राप्त की जा सके।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**भारत सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)नामक समर्पित योजना के माध्यम से पूरे देश में क्लस्टर मोड में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। यह योजना जैविक किसानों को समर्थन देने पर जोर देती है। योजना के तहत 11.51 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया गया है, जिससे 15.47 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। पीकेवीवाई योजना को वर्ष 2022 से ही अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत लाया जा चुका है।**

**पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से एफपीओ गठन के माध्यम से जैविक उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन की मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए किसानों**

**को सशक्त बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) 2015 से लागू किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य घरेलू और निर्यात बाजार को विकसित करने के लिए प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना है। एमओवीसीडीएनईआर योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक और प्रमाणित उत्पादन है ताकि बुनियादी ढांचे, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए समर्थन प्रदान करके एफपीओ गठन के माध्यम से जैविक उत्पाद के लिए घरेलू और जैविक बाजार विकसित किया जा सके। इसलिए, इस योजना का पीकेवीवाई के साथ आना और इसे एक छत्र योजना के तहत लाना संभव नहीं है।**

**मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 2014-15 से एक सतत योजना के रूप में रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और जैव उर्वरकों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने और पौधों के पोषक तत्वों के जैविक स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएनएम प्रणाली को बढ़ावा देना, जो बदले में मिट्टी की उर्वरता के साथ-साथ पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करता है। एसएचएम योजना को भी वर्ष 2022 से अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) में मिला दिया गया है।**

**जबकि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज सह पोषक अनाज और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। राष्ट्रीय तिलहन और ऑयलपाम मिशन योजना का उद्देश्य वनस्पति तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करना और तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करके खाद्य तेलों के आयात को कम करना और ऑयलपाम और वृक्ष जनित तिलहनों के क्षेत्र का विस्तार करना है। इस योजना में तीन उप-मिशन नामतः एनएफएसएम-तिलहन, एनएफएसएम-ऑयलपाम और एनएफएसएम-वृक्ष जनित तिलहन शामिल हैं।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

## अध्याय चार

## टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

**किसानों की आय दोगुनी करना**

**(सिफारिश संख्या 7)**

**यह सच है कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर इस देश के प्रत्येक किसान की आय को दोगुना करने की ज़िम्मेदारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों और मंत्रालयों की है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसानों की आय को दोगुना करने का प्रमुख कार्य कृषि और किसान कल्याण विभाग का है। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग वर्ष** 2015-16 **और** 2018-19 **के बीच कुछ राज्यों के किसानों की आय को दोगुना करने से अभी बहुत दूर है, अर्थात चार वर्षों में, झारखंड में यह** 7068 **रुपये से घटकर** 4895 **रुपये हो गया है, मध्य प्रदेश में यह** 9740 **रुपये से घटकर** 8339 **रुपये हो गया है। नागालैंड में यह** 11428 **रुपये से घटकर** 9877 **रुपये हो गया है, ओडिशा के लिए यह** 5274 **रुपये से घटकर** 5112 **रुपये हो गया है। ऐसा तब हुआ है जब देश की मासिक कृषि आधारित पारिवारिक आय** 8059 **रुपए से बढ़कर** 10218 **रुपए हो गई है, जो कि समिति की राय में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा एक प्रशंसनीय और समय पर किया गया हस्तक्षेप है। समिति ने यह भी नोट किया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के अनुसार, इस संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी है कि कुछ राज्यों में वर्ष** 2015-16 **और** 2018-19 **के बीच मासिक घरेलू आय में गिरावट क्यों आ रही है, जबकि किसानों की संख्या लगभग समान है या कहीं बढ़ ही रही है और क्या कृषि और किसान कल्याण विभाग मूक दर्शक के रूप में बना हुआ है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विभाग उन राज्यों में किसानों की आय में गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष दल तैयार करे और कुछ सुधारात्मक उपाय करे ताकि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को भूल न जाएं।**

**सरकार का उत्तर**

**सरकार ने कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो किसानों के लिए उच्च आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आवंटन और गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई कोष आदि जैसे कॉर्पस फंड बनाना द्वारा सहायता दी जा रही है। क्षमता को उजागर करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जैसे आत्म निर्भर पैकेज (कृषि) के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ** 10,000 **एफपीओ का गठन और संवर्धन करना। आत्म निर्भर भारत के तहत अवसंरचना के सृजन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए** 1,00,000 **करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) बनाया गया है। अन्य विशेष पहलों में पीएम-किसान के तहत पूरक आय अंतरण; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) में वृद्धि शामिल हैं जो उत्पादन, मधुमक्खी पालन की लागत पर लाभ मार्जिन का न्यूनतम** 50 **प्रतिशत सुनिश्चित करती है; राष्ट्रीय गोकुल मिशन; नीली क्रांति; ब्याज छूट योजना; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जो अब कृषि फसलों आदि के अलावा डेयरी और मत्स्य पालन किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करती है। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) वर्ष** 2014-15 **में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाने से भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव की संभावना है। इस क्षेत्र के किसानों और अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी को सस्ती बनाने हेतु, किसान के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत आईसीएआर / एसएयू / राज्य सरकारों / राज्य सरकार के संस्थानों को आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की** 100% **लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

**कुछ राज्यों में किसानों की आय में गिरावट के कारणों का पता लगाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु एक विशेष टीम बनाने के लिए समिति की सिफारिशों को विचार करने हेतु नोट किया गया।**

**समिति की टिप्पणी**

**समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा** 1.19 **देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>संशोधित ब्याज सहायता योजना</u>**

**(सिफारिश संख्या 14)**

**समिति ने नोट किया कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए संभवत 2006-07 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। समिति यह जानना चाहेगी कि 2021-22 के अंत तक देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने किसान हैं। समिति यह भी जानना चाहेगी कि उन उपलब्ध किसानों में से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और विभाग को इस देश के सभी किसानों को कवर करने में कितने और वर्ष लग सकते हैं।**

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

**ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी के तहत शामिल करना ताकि उन्हें संशोधित ब्याज छूट योजना के माध्यम से रियायती दर पर ऋण मिल सके इसके लिए सरकार फरवरी, 2020 से सभी बचे हुए किसानों को कवर करने हेतु पीएम किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए केसीसी परिपूर्णता नामक अभियान चला रही है।**

**आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत, भारत सरकार किसानों को 2.5 करोड़ नए केसीसी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम संकट के समय किसानों को रियायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के प्रवाह को बढ़ाने के लिए उठाया गया। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 29-04-2022 तक 3,42,009 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 307.46 लाख केसीसी जारी किए गए हैं।**

**दिनांक 31 मार्च, 2022 तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों की संख्या अनुबंध-एक पर उपलब्ध है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संचालित केसीसी खातों की कुल संख्या अनुबंध-दो में उपलब्ध है।**

**समिति की टिप्पणी**

**समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा** 1.22 **देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**<u>अनुबंध-एक</u>**

| दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों की संख्या | |
|---|---|
| **राज्य** | **पात्र किसानों को भुगतान** |
| **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** | 16044 |
| **आंध्र प्रदेश** | 5370959 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | 94932 |
| **असम** | 1396487 |
| **बिहार** | 8233112 |
| **चंडीगढ़** | 424 |
| **छत्तीसगढ़** | 3524272 |
| **दिल्ली** | 15360 |
| **गोवा** | 9883 |
| **गुजरात** | 6047985 |
| **हरियाणा** | 1895436 |
| **हिमाचल प्रदेश** | 957457 |
| **जम्मू और कश्मीर** | 1163327 |
| **झारखंड** | 2670637 |
| **कर्नाटक** | 5407443 |
| **केरल** | 3668171 |
| **लद्दाख** | 18361 |
| **लक्षद्वीप** | 1856 |
| **मध्य प्रदेश** | 8572703 |
| **महाराष्ट्र** | 10747637 |
| **मणिपुर** | 478371 |
| **मेघालय** | 192787 |
| **मिजोरम** | 178121 |
| **नागालैंड** | 206760 |

| | |
|---|---|
| **ओड़िशा** | 3948901 |
| **पुदुचेरी** | 10797 |
| **पंजाब** | 1716445 |
| **राजस्थान** | 7369781 |
| **सिक्किम** | 10532 |
| **तमिलनाडु** | 3803377 |
| **तेलंगाना** | 3778980 |
| **दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव** | 13997 |
| **त्रिपुरा** | 238199 |
| **उत्तर प्रदेश** | 25835586 |
| **उत्तराखंड** | 915053 |
| **पश्चिम बंगाल** | 4618540 |
| **कुल** | **113128713** |

**<u>अनुबंध- दो</u>**

**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार के अनुसार संचालित केसीसी खातों की कुल संख्या और बकाया राशि**

**(कुल पूर्ण संख्या और राशि करोड़ रुपये में)**

| **राज्य का नाम** | **2019** | **2020** | **2021** |
|---|---|---|---|
| | **संचालित केसीसी** | **संचालित केसीसी** | **संचालित केसीसी** |
| **आंध्र प्रदेश** | 4538771 | 4522496 | 4605047 |
| **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** | 9046 | 5362 | 7868 |
| **अरुणाचल प्रदेश** | 61044 | 11562 | 860 |
| **असम** | 923877 | 740713 | 736919 |
| **बिहार** | 2749887 | 2800942 | 2771102 |
| **चंडीगढ़** | 7561 | 3874 | 70857 |
| **छत्तीसगढ़** | 1391363 | 1521906 | 1766266 |
| **दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव** | 838 | 918 | 1281 |
| **गोवा** | 15336 | 6874 | 14015 |
| **गुजरात** | 2437207 | 2466036 | 2892516 |
| **हरियाणा** | 2119394 | 2143528 | 2263947 |
| **हिमाचल प्रदेश** | 319295 | 376505 | 392245 |
| **जम्मू और कश्मीर** | 408150 | 468307 | 1008862 |
| **झारखंड** | 984977 | 1021120 | 925401 |
| **कर्नाटक** | 3989864 | 4109867 | 4823251 |
| **केरल** | 1294029 | 1080459 | 1862579 |
| **लद्दाख#** | | | 29900 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **लक्षद्वीप** | 43571 | 407 | 398 |
| **मध्य प्रदेश** | 6709897 | 5897055 | 6274836 |
| **महाराष्ट्र** | 5774819 | 5769176 | 6867895 |
| **मणिपुर** | 22900 | 24514 | 18464 |
| **मेघालय** | 88174 | 64184 | 61618 |
| **मिजोरम** | 21310 | 17546 | 24442 |
| **नागालैंड** | 115008 | 27762 | 27531 |
| **नई दिल्ली** | 3952 | 3872 | 3974 |
| **ओड़िशा** | 3855616 | 4004517 | 4337869 |
| **पुदुचेरी** | 34463 | 12122 | 17015 |
| **पंजाब** | 2014204 | 1969220 | 2244289 |
| **राजस्थान** | 5635246 | 5726322 | 6615298 |
| **सिक्किम** | 19819 | 5808 | 7043 |
| **तमिलनाडु** | 2064587 | 1947580 | 2973041 |
| **तेलंगाना** | 3920822 | 4079305 | 4259731 |
| **त्रिपुरा** | 232906 | 250581 | 256385 |
| **उत्तर प्रदेश** | 131331 | 10648643 | 11280943 |
| **उत्तराखंड** | 543824 | 516460 | 606276 |
| **पश्चिम बंगाल** | 2816511 | 3034711 | 3712246 |
| **कुल** | **66299599** | **65280254** | **73769951** |

**स्रोत**: **वर्ष** 2019 **और** 2020 **के लिए आरबीआई** (**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में**) **और नाबार्ड** (**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संबंध में**) **के आंकड़े जम्मू और कश्मीर में सम्मिलित।**

## अध्याय पाँच

## टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

**अनुदानों की मांगों का विश्लेषण - मांग संख्या 1**

**(सिफारिश संख्या 2)**

**समिति ने नोट किया कि** 2021-22 **के दौरान निधियों के उपयोग के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, विभाग ने बताया है कि पाइपलाइन में जो प्रस्ताव हैं उनको ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान के तहत आवंटित कोटा को छोड़कर, जहां उपयोग कम कृषि योग्य क्षेत्र होने, उन राज्यों द्वारा उतनी ही राशि जारी न करने और सामुदायिक भूमि के कारण उपयोग सीमित है। विभाग द्वारा चालू वित्त वर्ष** 2021-22 **के दौरान पूरे बजट का उपयोग किए जाने की संभावना है, यह, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विभाग ने स्वीकार किया है कि वर्ष** 2021-22 **के समापन से पहले तक उसे आवंटित धन का पूरी तरह से उपयोग कर पाना संभव नहीं होगा। समिति का यह सुविचारित मत है कि चूंकि विभाग उन कारणों/कारकों से अवगत है, जो उपलब्ध निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग में बाधा डालते हैं, इसलिए उसे वित्तपोषण पद्धति के साथ-साथ कार्यान्वयन की विधि सहित अपनी स्कीमों में समुचित संशोधन करना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों का प्रभावी और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहेगी।**

**सरकार का उत्तर**

**समिति की सिफारिश के अनुसार, विभाग ने वर्ष** 2021-22 **के दौरान आवंटित निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान** (2021-22) **के** 97.03% **का उपयोग किया जा सका है। इसके अलावा, विभाग परिचालन दिशानिर्देशों में उन कारकों और नियमों की पहचान कर रहा है जो निधियों के उपयोग में बाधा डालते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं और योजनाओं के ईएफसी में प्रावधानों को शामिल कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कार्य बल का भी गठन किया गया है।**

**समिति की टिप्पणी**

**समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा** 1.10 **देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**विभाग द्वारा सरेंडर की गई राशि**

**(सिफारिश संख्या 4)**

**समिति ने विभाग के उत्तर से नोट किया है कि** 2019-20, 2020-21 **और** 2021-22 **के दौरान क्रमशः** 34517.70 **करोड़ रुपये**, 23824.54 **करोड़ रुपये और** 9586.86 **करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी गई है। इसका मतलब है कि इन वर्षों में विभाग द्वारा** 67929.10 **करोड़ रुपये बिना खर्च किए ही लौटा दिये गए हैं। समिति की राय है कि निधियों का लौटा दिया जाना जो बिलकुल भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता; जिसे समिति मानती है कि एनईएस (पूर्वोत्तर राज्य), एससीएसपी (अनुसूचित जाति उप-योजना) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी) घटकों के तहत आवश्यकता कम होने के नाम पर वापस किया गया है। समिति ने निधियों के वापस लौटाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की ही। इसलिए, समिति विभाग को निधियों के परिहार्य समर्पण के कारणों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की सिफारिश करती है कि निधियों का पूर्ण, उचित और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।**

**सरकार का उत्तर**

**वित्त वर्ष** 2021-22 **में निधियां लौटाया जाना मुख्य रूप से सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं** (सीएसएस) **के लिए** 1 **जुलाई** 2021 **से वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित शुरुआती मुद्दों के कारण और एनईआर में कम आवश्यकता जो मुख्य रूप से** i) **पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के तहत धन जारी करने के लिए भूमि जोत का एक आवश्यक मानदंड होना**, (ii) **एनईआर में अधिकांश भूमि का सामुदायिक भूमि होना और** (iii) **एनईआर में कुल कृषि योग्य भूमि** (क्षेत्र) **सकल कृषि योग्य क्षेत्र** (सीजीए) **का** 2.74% **के कारण है, को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।**

**इसके अलावा, यह विभाग प्रस्तावों में तेजी लाने और अन्य संबंधित मुद्दों को तुरंत और बारीकी से विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गति और निधियों के प्रवाह की निगरानी और परिचालन दिशानिर्देशों में कारकों और नियमों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है जो निधियों के उपयोग में बाधा या प्रतिबंध लगाता है और योजनाओं के ईएफसी में प्रावधानों को शामिल करता है।**

**<u>समिति की टिप्पणी</u>**

**समिति की टिप्पणी के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक के पैरा** 1.13 **देखें।**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)**

**फा. सं. 7(5)/2021, दिनांक 27 जून, 2022**

**नई दिल्ली;** **पी.सी. गद्दीगौदर**

**<u>06 दिसम्बर 2022</u>** **सभापति,**

**15 अग्रहायण, 1944 (शक)** ***कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण***

**अनुबंध**

**कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति**
**(2022-23)**

**समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश**

*****

**समिति की बैठक मंगलवार**, 15 **नवंबर**, 2022 **को** 1100 **बजे से** 1245 **बजे तक समिति कक्ष संख्या**

3, **ब्लॉक ए**, **संसदीय सौध विस्तार भवन**, **नई दिल्ली में हुई।**

**उपस्थित**

श्री पी.सी. गद्दीगौदर – *सभापति*

***सदस्य***

***लोक सभा***

2. श्री ए. गणेशमूर्ति
3. श्री कनकमल कटारा
4. श्री देवजी पटेल
5. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
6. श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले'
7. श्री **राम कृपाल यादव**

***राज्य सभा***

8. **श्री मस्थान राव बीडा**
9. **डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे**
10. **श्री एस. कल्याणसुन्दरम**
11. श्री कैलाश सोनी
12. **श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला**
13. श्री राम नाथ ठाकुर

*सचिवालय*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **श्री शिव कुमार** | - | **अपर सचिव** |
| 2. | **श्री नवल के. वर्मा** | - | **निदेशक** |
| 3. | **श्री उत्तम चंद भारद्वाज** | - | **अपर निदेशक** |
| 4. | **श्री प्रेम रंजन** | - | **उप सचिव** |
| 5. | **श्री एन. अमरत्यागन** | - | **अवर सचिव** |

2. सर्वप्रथम, **सभापति ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार, लार्डिस समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा ताकि सदस्यों को शोध में बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की दिशा में की गई नई पहलों, संसद ग्रंथालय में नई पहल, संसद ग्रंथालय के समृद्ध संसाधनों/भंडार के बारे में जागरूकता पैदा करना, प्राइड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से अवगत कराया जा सके। तत्पश्चात, लार्डिस के अधिकारियों ने** पॉवर प्वाइंट **प्रस्तुतीकरण दिया।**

3. **तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित की गई कार्रवाई प्रतिवेदन पर विचार किया**:

(i) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ii) **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों** (2022-23)' **पर समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदन**;

(iii) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(iv) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(v) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(vi) XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

4. **कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया और समिति ने सभापति को इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।**

*5. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*6. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*7. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

*8. XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

***तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।***

---

*__मामला इस प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।__

**<u>परिशिष्ट</u>**

**(देखिए प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा** 4**)**

*कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के सैंतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण*

***

| | | |
|---|---|---|
| (i) | **सिफारिशों की कुल संख्या** | 16 |
| (ii) | **सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है** | |
| | **सिफारिश संख्या** 1,6,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19, **और 20** | |
| | **कुल** | 13 |
| | **प्रतिशत** | 65% |
| (iii) | **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तर को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती** | |
| | **सिफारिश संख्या** 3,5 **और 8** | |
| | **कुल** | 03 |
| | **प्रतिशतता** | 15% |
| (iv) | **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के स्वीकार नहीं किये है** | |
| | **सिफारिश संख्या** 7 **और 14** | |
| | **कुल** | 02 |
| | **प्रतिशत** | 10% |
| (v) | **टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं प्रतीक्षा है** | |
| | **सिफारिश संख्या** 2 **और 4** | |
| | **कुल** | 02 |
| | **प्रतिशत** | 10% |